

LOHARDAGA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 665716011221054756

Date : 01-12-2021

प्रभावी : तृतीय तिमाही 2020-2021

श्री/श्रीमती/सुश्री SANJAY PRASAD SAHU S/O LATE PADRATH SAW,
मोहल्ला MAINA BAGICHA LOHARDAGA LOHARDAGA
LOHARDAGA , 835302
9304601238

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0060000367000M0 वार्ड सं० 6 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रू० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	56.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		56.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, LOHARDAGA NAGAR PARISHAD Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. LOHARDAGA NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हेसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होल्लिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।


NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

क्रमांक - ५१२
भूमि संबंधित प्रतिवेदन

आवेदक का नाम तथा पता - संजय प्रसाद शाह
पता - शांति नगर, किस्को मोड़, लोहरदगा, P.O. + P.S. - लोहरदगा

पंजी 11 (Tenants Ledger) के आधार पर निम्नलिखित ब्यौरे का जमीन की जमाबन्दी का प्रतिवेदन निम्नलिखित है :-

मौजा का नाम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	जमीन का प्रकार	रजिस्टर 11/खतियान से संबंधित प्रतिवेदन
1	2	3	4	5	6	7
नदिया	195	166	737	0.05 $\frac{1}{2}$	रूयनी	<p>आवेदित भूमि मौजा नदिया के खाता नं० 166 प्लॉट नं० 737 रकबा 0.05$\frac{1}{2}$ रूयनी का खतियान खाता नं० 283 R 27/20-21 अरि खीबनी पश्चात पंजी 12 के पेज नं० 03 भाग नं० 11 के अंश संजय प्रसाद शाह पिता स्व० पदारथ शाह के नाम से जमाबन्दी दर्ज</p>



राजस्व कर्मचारी का हस्ताक्षर
हल्का नं० 02

अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर

जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं जॉचोपरांत नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।
इस भूमि से संबंधित किसी भी विवाद की सूचना अंचल कार्यालय को नहीं है।

राजस्व कर्मचारी का हस्ताक्षर
हल्का नं० :- 02

अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर

अंचल अधिकारी
लोहरदगा (सिद्ध)